

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(3) वित्त/बीमा/2019लूज

जयपुर, दिनांक 30.04.25

आज्ञा

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के निम्नांकित अधिकारी को आगामी आदेशों तक अपने वर्तमान पद के कार्यों के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

| क्र. स. | नाम अधिकारी         | वर्तमान पदस्थापन स्थान | अतिरिक्त कार्यभार  | विशेष विवरण                                                 |
|---------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.      | श्री दिपेन्द्र सिंह | सहायक निदेशक, सिरौही   | सहायक निदेशक, पाली | श्री हरिहर सिंह, सहायक निदेशक पाली के अवकाश काल से लौटने तक |

आज्ञा से

  
(धनलाल शेरवत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
5. संबंधित अधिकारी।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव